

रिपोर्ट में,

ID 2290 / RTI Cell/SWD.
Date 16/8/17

5198
16-08-17
R 101-

श्रीमान जन सचन अधिकारी
दक्षिण पश्चिम जिला सेंट्रल-19
झारका
नई दिल्ली - 110075

विषय - आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना

~~सूचना~~
श्रीमान / श्रीमति जी

निवेदन यह है कि 01 अगस्त 2017 को मेरी पत्नी ज्योति पुगी श्री
क्षेत्रज्ञान डाटा निवाली नवकाह ने सेंट्रल-9 में CAW प्रमोएड के
मेरे खिलाफ दंड का व शारिक हानि की रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके लिए
मुझे 14 अगस्त को counselling के लिए बुलाया गया था। मैंने अपने
खिलाफ आरोपों की हति मांगी तो अधिकारी ने कहा कि हाँ ले लेंगे। और
मुझे counselling के लिए 01 अगस्त, 2017 को दोपहर 2:00 बजे आने

के लिए कहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों
की हति दिलाने की कृपा करें। आरटीआई आवेदन की कीस में
नरुद जमा कर रहा है। आपसे अनुरोध है कि मुझे आरोपों की हति 21 अगस्त
का 7 से पहले दिलाने की कृपा करें। तब मैं 'आरोपों' का सही से जवाब दे
सकूँ।

धन्यवाद

दिनांक 16.08.17

स्थान ~~नई दिल्ली~~ झारका

DA-I

16/8/17

प्रवीण कुमार
16/08/17

प्रवीण कुमार

सकान नं. 861/62,

जवाहर ~~जवाहर~~ कालोनी

एन.आई.टी

करीबाबाद (हरियाणा)

मो 8802157803

9911100467.